# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–6

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन –0141–2706069 rajssaquality@gmail.com


5. विद्यार्थी एवं शिक्षकों हेतु पठन-पाठन सामग्री

VIDEO LINK

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प. / जय / गुणा.शिक्षा / कला किट / 2023–24 / 3805 दिनांक : 4/8/23

## कला किट दिशा निर्देश 2023–24

नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ पर बल दिया गया है। जिसमें प्राथमिक शिक्षा को एक मजबूत बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें इस बात की भी अनुशंषा की गई है कि बच्चों को खेल और गतिविधि आधारित सीखने के साथ भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान हो।

वार्षिक कार्ययोजना 2023–24 में फाउण्डेशन लिट्रेसी एवं न्यूमरेसी (निपुण भारत) अन्तर्गत बालक–बालिकाओं को गतिविधि आधारित गुणात्मक शिक्षा एवं सृजनात्मक कार्य को बढ़ावा देने हेतु कला किट के लिए राशि अनुमोदित की गई है। विद्यार्थियों का शिक्षण से जुड़ाव, प्रभावी अधिगम एवं अधिकाधिक अभ्यास के अवसर प्राप्त हो सके, इस हेतु कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सीखने को सरल, सहज, रोचक, आनन्ददायी गतिविधि आधारित बनाने के लिए कला किट उपलब्ध कराई जा रही है।

### उद्देश्य –

- कला के माध्यम से विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रूचि उत्पन्न करना।
- विद्यार्थियों में क्रियात्मक व सृजनात्मक कौशलों का विकास करना।
- विद्यार्थियों में उत्पन्न हुए अधिगम अन्तराल को कम करना।
- स्वयं करके ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराना।
- गतिविधि आधारित शिक्षण के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।

### कला किट के उपयोग हेतु निर्देश –

1. माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 में डाइस डाटा 2021–22 के नामांकन के अनुसार विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उपयोगिता के अनुसार कला किट राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जायेंगे। कला किट सामग्री विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर उपयोग ली जाए।
2. कला किट अन्तर्गत प्राप्त सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु किया जाना है।
3. अध्यापक गृहकार्य के समय ऐसी गतिविधियां प्रस्तावित करें जिससे विद्यार्थी कला किट सामग्री का उपयोग घर पर भी कर सकें।
4. कला किट में प्राप्त सामग्री कलर बुक, स्क्रेच बुक मे नियमित कार्य करने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए।

Signature valid

Digitally signed by T. Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:58:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4347990

5. विद्यार्थियों को मुक्त रूप से कार्य करने हेतु स्वतन्त्रता प्रदान करें।
6. कलर के माध्यम से अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करें।
7. मुक्त लेखन को प्रेरित करें।
8. सृजनात्मक विकास हेतु छात्रों को प्रेरित करना जैसे– Thumb Painting, Onion Painting, Cotton Painting etc.
9. छात्रों की कल्पना शक्ति व रचनात्मक विकास हेतु पुराने पेपर का कटिंग या पिक्चर दे कर स्क्रेब बुक में कोलाज बनवाना व अपने बनाए कोलाज को कहानी के रूप में अभिव्यक्ति करवाना।
10. छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ सृजनात्मक विकास को बढ़ावा देने हेतु कक्षा स्तरानुसार गतिविधियाँ जैसे– कलरींग, कोलाज, लीफ पेन्टिंग आदि नियमित रूप से यथा समय स्वंय करवाने के साथ छात्रों को घर पर भी करने हेतु प्रेरित करना है।
11. उपरोक्त सभी गतिविधियों को करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए नो बेग डे/शनिवार को छात्रों के साथ स्तरानुसार इनकी प्रतियोगिता भी करवाई जा सकती है जिससे छात्रों में इन सभी कार्यो को लेकर उत्साह व रूचि बढेगी।

**कला किट सामग्री के कक्षा कक्षीय गतिविधियों में उपयोग हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है–**

## 1. जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य/दायित्व

- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के निर्देशानुसार कला किट सामग्री प्राप्त होने पर 7 दिवस में ब्लॉक, विद्यालय के लिए कला किट का वितरण सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर से प्राप्त स्टॉक एन्ट्री प्रमाण–पत्र को समेकित करते हुए सूचना परिषद कार्यालय जयपुर को प्रेषित करना।
- ब्लॉक एवं विद्यालयों तक दिशा निर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- कला किट सामग्री के वितरण एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी की नियुक्ति करना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री की पहुँच एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करना।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पीईईओ के साथ सतत् रूप से कला किट के उपयोग की समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं पीईईओ/यूसीईईओ का कला किट सामग्री के निर्धारण, वितरण एवं उपयोग हेतु आमुखीकरण करना।
- कला किट सामग्री के विद्यालय स्तर विद्यार्थियों को सामग्री वितरित करने एवं उनके द्वारा उपयोग की अद्यतन प्रगति से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को अवगत कराना।
- परिषद् स्तर से निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एन्ट्री भिजवाते हुए स्टॉक रजिस्ट्रर में सामग्री का संधारण करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:58:28 IST
Reason: Approved

## 2. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व :

- जिला कार्यालय से ब्लॉक कार्यालय को कला किट प्राप्त होने की तिथि से 5 दिवस में विद्यालयों तक वितरण सुनिश्चित कराना।
- प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री का वितरण एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ के साथ आमुखीकरण एवं समीक्षा बैठक आयोजित कर फीडबैक प्रदान करना।
- जिले द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एन्ट्री जिले को भिजवाते हुए ब्लॉक स्तर पर स्टॉक रजिस्ट्रर में सामग्री का संधारण करें।

## 3. पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान के कार्य/दायित्व :

- पीईईओ/यूसीईईओ/विद्यालयस्तर पर कक्षावार नामांकन के अनुसार विद्यार्थियों को कला किट सामग्री का वितरण कराना।
- अभिभावकों को कला किट के उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- कक्षा कक्षीय गतिविधियों अन्तर्गत प्रस्तावित गृहकार्य में कला किट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना एवं विषय अध्यापकों/विद्यार्थियों को प्रेरित करना।
- अभिभावकों से संवाद करते हुए फीडबैक प्राप्त करना।
- शिक्षकों के साथ कला किट से विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा क्षेत्राधीन विद्यालयों के भ्रमण/अवलोकन/निरीक्षण के दौरान कला किट के उपयोग की समीक्षा व शिक्षकों को मार्गदर्शन व संबलन प्रदान करना।
- ब्लॉक द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एन्ट्री ब्लॉक को भिजवाते हुए विद्यालय स्तर पर स्टॉक रजिस्ट्रर में सामग्री का संधारण करें।

## 4. शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य :

- प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा सभी विषय में कला किट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना।
- कक्षा कक्षीय गतिविधियों अन्तर्गत प्रस्तावित गृहकार्य में कला किट सामग्री के उपयोग सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों में कला किट सामग्री के द्वारा सृजनात्मकता का विकास करना।
- विद्यार्थियों द्वारा किये गये सृजनात्मक कार्य को कक्षा कक्ष/प्रार्थना स्थल/बालसभा के मंच पर प्रदर्शित करना।
- विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे सृजनात्मक कार्य को पोर्ट फोलियो में संधारित करना।
- विषयाध्यापक द्वारा विषय में कला किट सामग्री का उपयोग करते हुए अधिगम को रुचिकर बनाना।
- अभिभावकों को कला किट के बारे में जानकारी देते हुए उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- विद्यार्थियों द्वारा तैयार सामग्री को बहु विषय आधारित उपयोग हेतु प्रेरित करने हेतु मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करना।

Signature Not Verified

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:58:28 IST
Reason: Approved

**5. अभिभावकों से अपेक्षा :**

- विद्यार्थियों को कला किट के उपयोग से सृजनात्मक कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
- विद्यालय में शिक्षक/संस्थाप्रधान के साथ निरन्तर समन्वय बनाए रखना।

**6. आकलन एवं मॉनिटरिंग–**

1. गत वर्ष उपलब्ध कराये गये कला किट (कक्षा 1 से 5) की उपयोगिता एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में हुए सुधार हेतु तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाना है।
2. तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया –
   - अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा डाइट के माध्यम से जिले में कार्यरत आरईआई पार्टनर का सहयोग लेते हुए तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु प्रश्न बैंक/टूल एवं रिपोर्ट का निर्माण व विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जाए।
   - तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु डाइट के अतिरिक्त अन्य राजकीय संस्थान का निर्धारण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाए।
   - तृतीय पक्ष मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकन रिपोर्ट विकसित की जाये एवं रिपोर्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर एक प्रति सूचनार्थ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सम्बन्धित जिले में संधारित करें।
   - मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त परिणामों के अनुसार जिला स्तर पर आयोजित जिला निष्पादन समिति की बैठकों में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।
3. कला किट की उपयोगिता एवं लाभार्थियों की संख्या के आकलन हेतु सूचना समस्त सम्बन्धित संस्थाप्रधनों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड की जाए। इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है जिसका लिंक पृथक से साझा किया जायेगा।

**विशेष–**

- कला किट की उपयोगिता पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की समझ विकसित करने हेतु परिषद् मुख्यालय द्वारा एक वीडियों विकसित किया जा रहा है। इस वीडियों का लिंक समस्त सम्बन्धित शिक्षकों/संस्थाप्रधानों के साथ साझा किया जाना है। वीडियों का लिंक पत्र के माध्यम से पृथक से साझा किया जायेगा।
- नो बैग डे के दिन कला किट का अधिकाधिक उपयोग किया जावे।
- जिस मद के लिए राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में ही किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:58:28 IST
Reason: Approved

- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (https://samagrashiksha.in) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- उक्त गतिविधि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2023–24 में निम्न मद में अनुमोदित की गई है–
  - **Quality Interventions**
    - ✓ Funds for Quality (LEP, Innovation, Guidance etc)
    - ✓ 86.0- Nipun Bhart Mission (FLN)
    - ✓ 86.0.1- Teaching Learning Material for Implementation of Innovative Pedagogies

(डॉ. टी शुभमंगला)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणा.शिक्षा/कला किट/2023–24/3805 दिनांक : 4/8/23

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
7. अति० निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
10. प्रोग्रामर, रास्कूलशिप, जयपुर दिशा निर्देश को पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. प्रधानाचार्य, डाइट, समस्त जिले।
14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
15. UCEEO/PEEO, समस्त।
16. कार्यालय प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:58:28 IST
Reason: Approved